

प्रेषक,

एच०पी० सिंह

विशेष समिति

5090 शासन।

गोवा गौ.

१ लिटेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,

उम्मीद, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

अनुदान कार्यक्रम विभाग।

विषय: शहरी गरीबों के लिये अन्पसंचयक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

प्रमुखत विषयक आपके पत्र संख्या 971/176/10/3:/विविध/आसरा/तकनीकी (रामपुर-रामपुर 720) दिनांक 10 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों की अन्पसंचयक बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मलिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में विभालिखित तालिका में उल्लिखित जनपद-रामपुर की निकाय-रामपुर (तास्का पहाड़ी गेट निकट) की 7/20 आवासों की 01 परियोजना हेतु ₹ 3522.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, तालिका के स्तम्भ-7 में अनिक्षित प्रथम किशत के रूप में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अर्थात् गुन धनराशि ₹ 1408.90 लाख (रुपये चौदह लाठू आठ लाख नव्वे हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय विभालिखित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन सही रौप्यता प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुपये में)


क्र०	जनपद/ सं० का नाम	कुल आवासों की संख्या।	अन्पसंचयक सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	सामान्य वर्ग के लागतियों के आवासों की संख्या।	सामान्य वर्ग के लागतियों अवस्थापना सुविधाओं सहित परियोजना की कुल आवासीय लागत।	प्रथम किशत (40 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने याली धनराशि (सेंटेज चार्ज एवं लेबर सेस सहित)।
1	2	3	4	5	6	7
1	रामपुर/ रामपुर (तास्का पहाड़ी गेट निकट एस.पी.एस. जोन-?)	720	3522.25	720	3522.25	1408.90
	योग			720	3522.25	1408.90

- उपल धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या 1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/ट्रायवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालब्द सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।

१. प्रधानमंत्री कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय अनुपसंचयक खण्ड 6 के अध्याय 12 के प्रस्तार-318 में वर्णित ट्रायवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सामग्री स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा राज्यग रतर रो तकनीकी रौप्यता प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- 2-
3. प्रायोजना का निर्माण कार्ये पारवण करने से पूर्व मानविकों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास अभियान/सहाय लोकल अधिकारी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही बोजलानुसार समरत आवश्यक नियांनिक आपत्तियाँ एवं पर्यावरणीय विवरणों से पापत करने के उपरान्त ही निर्माण कार्ये प्रारम्भ किया जायेगा।
  4. उपर धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय संगठन समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिवेदनों के अधीन अनुमति-दाता ने इयाकों को जायेगी। योजनानन्तर्गत परियोजना में गान्धीजीकृत दो सम्बन्ध, मानविकों एवं मानव में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
  5. उपर धनराशि जिस कार्य/मद में रवीकृत को जा रही है, उसका इस घटने के प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का कार्य वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण कार्यों जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
  6. घृड़ा/झूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्ये देतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा निरी अन्य स्थों से धनराशि रवीकृत नहीं की गयी है तथा न हि यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित नहीं। उक्त रवीकृत धनराशि आवंटित परिवर्त्य के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विराष्टि/पुनराष्टि न हो इसे मूड़ा/झूड़ा द्वारा आपसे स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
  7. प्रायोजनानन्तर्गत कोई उल्लेख्यीय परिवेश और नवीकरण कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में यूद्धि एवं अन्य विशिष्टिहाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये जिन नहीं किया जायेगा। इसके अंतरिक्ष समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्णय करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक यूद्धि होती है तो उस विषये में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पूल: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अविवाद्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
  8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन सीट आवासों के भू-रणागित्व का सम्बन्धन अविवाद्य होने से किया जायेगा।
  9. घृड़ा/झूड़ा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनानन्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानविकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिकारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
  10. उक्त धनराशि वैक के आधार से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित झूड़ा द्वारा परियोजना राज्यकी सभी परियादों का सहम रत्नीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं राखित व्यापारीक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आशहस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित झूड़ा/उनके आधार से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो आपसे स्तर पर भी उपतानुसार राजी पहलुओं पर आश्वस्त हो जेंगे।
  11. उपर धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 3000, लखनऊ द्वारा प्रमुख संचित/संप्रीय अशया विशेष सीधेव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुख कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताकारोपन्नत किया जायेगा।
  12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 3000, इलाहाबाद के आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाल्यावाद संघ, विशेष तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य आलेख्य करा दी जायेगी।
  13. नीरंतर धनराशि कोषागार से आहरित कर वैक/डाकाहर/डिपाजिट खाते व फी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार जिस जायेगा तथा इसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/शुगताव के पूर्व राजनीयम कल्प व राज्य के वर्षों की स्रोत की कटीती साक्षी अविवाद्य विधिक प्रतिवेदनों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।


14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्षे 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय। योजनान्तर्गत प्रश्न किसत के रूप में स्वीकृत उक्त धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि द्वय हो जाने के पश्चात तथा 5 साले शापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त योजना की 40 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किसत के रूप में अवमुक्त की जायेगी। प्रश्न एवं द्वितीय किसत की संभिलित धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर 15 प्रतिशत धनराशि तृतीय किसत के रूप में अवमुक्त की जायेगी। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता यथास्थिति, लियंक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात ही द्वितीय एवं तृतीय किसत की धनराशि जारी की जायेगी। परियोजना का कार्य पूरी होने तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही बकाया 5 प्रतिशत की अवश्य धनराशि जारी की जायेगी। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को लापस करनी होगी।
15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प०, लखनऊ आनंदन की वर्षान्त पर आपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य बनायेंगे।
16. परियोजना से सञ्चालित निर्माण इकाई से यथावतास्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०ओ०ग०) लिप्यादित किये जाने हेतु सूडा द्वारा सञ्चालित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का द्वय चालू वित्तीय वर्षे 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-३७ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216 आवास पर पुंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-८००-अन्य व्यय-०३-आसरा योजना (आवासीय अवन)-२४-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या-५-८२०७५/दस-२०१५ दिनांक 27 जुलाई, 2015 में आवृत उल्ली साम्पत्ति से जारी किये जा रहे हैं।

अवधीय,  
  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या- ११ /२०१५/१४९२(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रतिलिपि लिप्यादित को गृहस्थार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. माध्यलेखाकार (लेखा एवं इकट्ठारी), प्रश्न, उत्तर प्रदेश, २० सरोजनी नगरपूर मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थालीय लिपि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प०, छठां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नगति कार्यक्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, रामपुर।
5. वित्त (व्यय लिप्यवण) अनुआग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
6. लियोजन अनुआग-४, उत्तर प्रदेश शासन।
7. मुद्र्य कलेपाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त तियांस्क, राज्य नगरीय विकास अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विगारीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कंप्यूटर सहायक/वर्ग सम्बन्धक।

आज्ञा से,  
  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।